न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 526 / 2025

श्री भवानी सिंह पुत्र श्री मेघसिंह, जाति राजपूत, निवासी वार्ड नं0 16, बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 22.12.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 08.12.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 526 / 2025 पर दिनांक 08.12.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2025 / 5226—5287 दिनांक 08.12.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना ने पत्रांक न्याय / 2025 / 261 दिनांक 17.12.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता श्री भवानी सिंह पुत्र श्री मेघसिंह, जाति राजपूत, निवासी वार्ड नं0 16, बुहाना के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी जिसके संबंध मे प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक आरटीआई / 2025 / 217 दिनांक 08.10.2025 के द्वारा सूचना दी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना ने पत्रांक न्याय / 2025 / 261 दिनांक 17.12.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता श्री भवानी सिंह पुत्र श्री मेघसिंह, जाति राजपूत, निवासी वार्ड नं0 16, बुहाना के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी जिसके संबंध मे प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक आरटीआई / 2025 / 217 दिनांक 08.10.2025 के द्वारा सूचना दी जा चुकी है। चूंकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं